



प्रेस नोट
थाना स्योहारा

दिनांक 23.03.2023

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा प्रदेश स्तर का माफिया शातिर अपराधी आदित्य व उसके साथियों से मुठभेड, आदित्य का भाई चंद्रवीर उर्फ बिट्टू अवैध तमंचा, 06 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार। आदित्य व उसके साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि प्रदेश स्तर के शातिर माफिया अपराधी आदित्य राणा पुत्र राजपाल सिंह निवासी रानानंगला थाना स्योहारा बिजनौर की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा 2.5 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। मा0 न्यायालय बिजनौर द्वारा शातिर अभियुक्त आदित्य राणा पर पंजीकृत विभिन्न मामलों में एनबीडब्लू जारी किए गए हैं। बिजनौर पुलिस भी उसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास कर रही है।



कार्यवाही-

आज दिनांक 23.03.2023 को सुबह करीब 03:30 बजे प्रभारी निरीक्षक स्योहारा मय टीम शातिर अपराधी आदित्य उपरोक्त के परिचित रिश्तेदारों आदि के यंहा आदित्य के संबंध में जानकारी कर रहे थे तथा मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम राना नंगला जा रहे थे। मुखबिर द्वारा सूचना दी कि शातिर अपराधी आदित्य ग्राम राना नंगला में अपने 02 साथियों सहित अपने भाई चंद्रवीर उर्फ बिट्टू से मिलने आया हुआ है तथा बिट्टू अपने बोलेरो गाडी से उनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ने जाने की तैयारी कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर राना नंगला जाते समय रूपपुर शाहपुर मोड पर उक्त बोलेरो गाडी आती दिखी। पुलिस टीम को देखकर गाडी में बैठे बदमाश गाडी से उतरकर भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए जबावी फायरिंग करते हुए घेराबंदी कर चंद्रवीर उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया गया। शातिर अपराधी आदित्य तथा उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण—

अभियुक्त चंद्रवीर उर्फ बिट्टू उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि वह अपने भाई आदित्य राणा एवं स्वयं को पुलिस से बचाने के लिए उनके साथ मिलकर फायरिंग की थी। यही उसका मकसद था जो पूरा हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:—

1- अभियुक्त चन्द्रवीर उर्फ बिट्टू पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम राना नगला थाना स्योहारा जिला बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण—

1. 01 बोलेरो गाडी नं०—यूपी 19 0004,
2. 01 तमंचा 315 बोर व 06 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस।

आपराधिक इतिहास अभि० चंद्रवीर उर्फ बिट्टू उपरोक्त—

1. मु०अ०सं० 528/18 धारा 147/148/149/302/307/120बी/506 भादवि थाना स्योहारा
2. मु०अ०सं० 582/18 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना स्योहारा
3. मु०अ०सं० 153/19 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना स्योहारा
3. मु०अ०सं० 147/23 धारा 307/353/332/216 भादवि व 3/25 शस्त्र अधि० थाना स्योहारा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1- प्रभारी निरीक्षक राजीव चौधरी, थाना स्योहारा बिजनौर।
- 2- उ०नि० प्रशान्त सिंह थाना स्योहारा बिजनौर।
- 3- हे०का० 524 विपिन कुमार थाना स्योहारा बिजनौर।
- 4- हे०का० 645 प्रदीप कुमार थाना स्योहारा बिजनौर।
- 5- हे०का० 360 ब्रजपाल सिंह थाना स्योहारा बिजनौर।
- 6- हे०का० 678 सतीश थाना स्योहारा बिजनौर।
- 7- का० 771 श्यामवीर थाना स्योहारा बिजनौर।
- 8- का० 96 प्रदीप कुमार थाना स्योहारा बिजनौर।
- 9- म०का० 1721 आंचल थाना स्योहारा बिजनौर।
- 10-चालक का० अमरपाल सिंह थाना स्योहारा बिजनौर।



प्रेस नोट

थाना शेरकोट

दिनांक-23.03.2023

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मा० न्यायालय सिविल जज (एस०डी०) एफ०टी०सी०/ए०सी०जे०एम० के वाद संख्या 404/21, मु०अ०सं० 250/20, धारा 323/324/504/506 भादवि० से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त मोईद पुत्र अल्लाबक्श निवासी मौ० नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता

मोईद पुत्र अल्लाबक्श निवासी मौ० नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ०नि० श्री मुन्नालाल गौतम
- 2.हे०का० 641 दिनेश कुमार
- 3.का० 2082 बिन्दू कन्दौल